कार्यालय नगर पंचायत सलेमपुर–देवरिया

पत्रांक 4(2) /न0 पं0 स0/निर्माण कार्य/कोटेशन 2011–12 दिनांक :–19-10-11

निविदा/कोटेशन सूचना

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा 13वाँ वित्त आयोग के संस्तुतियो के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 की द्वितीय किस्त एवं वर्ष 2011–12 की प्रथम किस्त की धनराशि से कुल योग रू0 23,98,785=00 से कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो/क्रय किये जाने वाले सामानो हेतु मान्यता प्राप्त फर्मो/दुकानो/एजेंसियो एव नगर पालिका एवं जिला पंचायत तथा लोक निर्माण विभाग के पंजीकृत ठेकेदारो जिनका पंजियन वर्तमान समय में प्रभावी है, से सीलबन्द निविदायें/कोटेशन दिनांक 31-10-11 को सायं 2 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो न0 पं0 सलेमपुर कार्यालय पर रखी गयी निविदा/कोटेशन बाक्स मे डाली जायेगी, जो उसी दिन सायं 3.30 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा/कोटेशन प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 29-10-11 को कार्यालय दिवस में 2 बजें तक कार्यालय न0 पं0 सलेमपुर से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/के0बी0पी0/एफ0डी0आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी न0 पं0 सलेमपुर के पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा/कोटेशन प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। जमानत धनराशि की छायाप्रति मान्य नहीं होगा तथा प्रत्येक निविदा/कोटेशन के साथ आगणन के अनुसार 10% नकद जमानत धनराशि भी जमा किया जा सकता है। एक साथ जमानत मान्य नही होगा। निविदा/कोटेशन संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उक्त निविदा/कोटेशन सूचना को वेबसाइट–www.deoria.nic.in पर देखा जा सकता है। अनुसूचित जाति के लिए 21% अनु0 जनजाति के लिए 2% आरक्षण निर्धारित है जिसके लिए 2% जमानत धनराशि देय है। अनु0 जनजाति के ठेकेदार न मिलने पर उक्त कार्य का ठेका अनु0 जाति के ठेकेदारो को दिया जायेगा।

निर्माण कार्यो/क्रय किये जाने वाले सामानो का विवरण

क्र0 स0	मद का नाम	प्रस्तावित कार्य का विवरण	आगड़न की धनराशि	जमानत की धनराशि	निविदा प्रपत्र का मुल्य	कार्य समाप्ति की अवधी	आरक्षण वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	जलापुर्ति	इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प	अनुमानित	आपुर्ति के अनुसार	200=00	15 दिन	अना0
2–	मलजल व्यवस्था	1–ब्लाक के सामने महिला मुत्रालय का निर्माण वार्ड नं0–5	52,13=00	522=00	100=00	15 दिन	अना0
3–	वर्षा जल निकासी	2–वार्ड नं0–1 मलिन बस्ती में रिशन कुण्ड (सोक पिट) निर्माण।	19362=00	200=00	50=00	15 दिन	अना0
		3–वार्ड नं0–3 मलिन बस्ती में रिशन कुण्ड कुण्ड (सोक पिट) निर्माण।	2,25,800=00	22,600=00	300=00	30 दिन	अना0
		4– वार्ड नं0–12 कोतवाली से डी0एस0पी0 कार्यालय तक मुख्य सड़क पर नाला नर्माण।	4,91,495=00	2,830=00	500=00	30 दिन	आरक्षण
		5– वार्ड नं0–6 ब्रम्हदेव तिवारी के मकान से सत्त शिक्षा केन्द्र होते हुए क्वीन ब्यूटी पार्लर तक क्रासिंग नाली निर्माण कार्य।	1,56,500=00	3,130=00	150=00	15 दिन	अना0
		6– वार्ड नं0–12 नागेन्द्र के घर से कविलास वर्मा के घर होते हुए नाला तक नाली व क्रासिंग निर्माण कार्य।	61,446=00	1,230=00	100=00	15 दिन	आरक्षण

(P.T.O)

	2	3	4	5	6	7	8
4–	ठोस अपविष्ट पदार्थो का प्रबन्धन	1–हाथठेला गाड़ी	अनुमानित	आपुर्ति के अनुसार		15 दिन के अन्दर	अना0
		2–रिवाल्विंग रिक्शाव्हीलबैरिंग	"	"		"	"
		3–मैलाथियानडस्ट	"	"		"	"
		4–ब्लीचिंग पाउडर	"	"		"	"
		5–नुवान	"	"		"	"
		6–मैलाथियानघोल	"	"		"	"
		7–फेनाडोन पाउडर	"	"		"	"
		8–पैराथ्रम घोल	"	"		"	"
		9–यूनिक जेन्ट फाग–100 फागिंग मशीन	"	"		"	"
		10–पावर स्प्रेयर मशीन रिक्शा ट्राली के साथ।	"	"		"	"

नियम एवं शर्ते :–

1– निविदादाता/कोटेशनदाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– निविदादाता/कोटेशनदाता को 10% की दर से जमानत/धरोहर धनराशि आगणन की धनराशि के सापेक्ष किसान विकास पत्र/राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक एफ0डी0आर02टी0डी0आर0 आदि को निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। बिना जमानत के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

3– निविदा/स्वीकृति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार/कोटेशनदाता को नियमानुसार कार्य के संबंध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबंध/इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

4– ठेकेदार को निर्माण कार्य कर्यादेश में दिये गये नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, यदि निर्धरित समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार द्वारा जमा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया, जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

5– ठेकेदार को आगणन के अनुसार निर्माण कार्य कराना होगा। निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती हैं।

6– अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों को आरक्षण की वरीयता होगी एवं नियमानुसार जमानत धनराशि में छूट दी जायेगी।

7– जमानत की धनराशि निर्माण कार्य/क्रय सामग्री संतोषजनक पाये जाने पर अंतिम भुगतान के पश्चात छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।

8– निविदादाता को अपनी निविदा स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी।

9– किसी भी निविदा/कोटेशन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

10– निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र में अंकित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

11– निविदा प्रपत्र पर कटिंग/ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत-सलेमपुर
देवरिया

अध्यक्ष
नगर पंचायत सलेमपुर
देवरिया।

(P.T.O)